दिनांक 18.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई ने अपनी सीमा क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित उद्योगों से निर्यात कर वसूल किये जाने 495 उद्योगों को नोटिस जारी किया था जिसमें से भिलाई इस्पात संयंत्र एवं अन्य 4 उद्योग से लगभग 30 लाख रुपये निर्यात कर के रुप में वसूल किये हैं। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने अपने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात को संज्ञान में लिया कि भिलाई निगम क्षेत्र में 495 उद्योग संचालित होने के बाद भी मात्र 43 उद्योग समूह ही अपने सामान पर जो निगम सीमा से बाहर भेजे जा रहे हैं नियमानुसार निगम को निर्यात कर की अदायगी कर रहें हैं। आयुक्त ने निर्यात कर सभी उद्योग की जांचकर वसूल किये जाने उपायुक्त टी 0पी0 लहरे के नेतृत्व में 15 सदस्यीय जांच दल का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे, जिस पर लहरे द्वारा टीम के साथ रणनीति तैयार कर निर्यात कर वसूली हेतु कार्यवाही शुरु कर दी गई है।
जांच टीम ने भिलाई के सभी उद्योगों की जांच कर उनके स्टाक एवं निर्यात पंजी का अवलोकन कर 495 उद्योगों को निर्यात कर की राशि का भुगतान किये जाने का नोटिस जारी किया जिसमें से भिलाई इस्पात संयंत्र से 2895477 रुपये तथा अतुल आक्सीजन कम्पनी, अतुल क्रायोगेसिम ग्रेसेस एवं भिलाई सीमेंट पाईप मेन्यू छावनी से 95 हजार रुपये निर्यात कर के रुप में वसूल किये हैं इस प्रकार लगभग 30 लाख रुपये निर्यात कर के रुप में टीम द्वारा निगम कोष में जमा करवाया गया है।
आयुक्त श्री सुंदरानी ने भिलाई निगम सीमा में संचालित उद्योगों से कहा है कि अपने उद्योग के उत्पाद जो निगम सीमा के बाहर भेजे जा रहे हैं उस पर प्रति वर्ष नियमानुसार निर्यात कर जमा करवायें।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''